लेग कैसे बदलें











प्रार्म भरिये और परिवर्तित विवरण टाइप करें

- अपने वोटर आईडी पर अपने मौजूदा ईपीआईसी नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें।
- दूसरे विकल्प, "मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों का सुधार" पर क्लिक करें।

- <u>'</u>
- कई विकल्पों के साथ एक फॉर्म दिखाई देगा। लिंग या नाम बदलने के लिए सही चयन करें

2 अपने दस्तावेज़ तैयार करें



।अगर आप अपना लिंग बदल रहे हैं तो आपको सरकारी दस्तावेज की जरुरत है आपके अद्यतन लिंग के साथ आधार कार्ड,

टीजी कार्ड,

राशन कार्ड, आदि





3 रेफरेंस नंबर सेव करें

स्क्रीन पर दिखाई देने वाले रेफरेंस नंबर को नोट कर लें

इस नंबर का उपयोग करके, आप अपने <mark>आवेदन को ट्रैक</mark> कर सकते हैं और अंत में मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं





एक ब्लॉक स्तर का अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और सत्यापन के लिए आपके घर आएंगे



टिप्पणी

जान लें कि वोट डालने के लिए आपको वोटर आईडी की जरूरत नहीं है। जब तक आपका नाम मतदाता सूची में है और आपके पास कोई सरकारी पहचान प्रमाण है, आप मतदाता पहचान पत्र के बिना भी मतदान कर सकते हैं।

> आपका नया वोटर आईडी **50 दिनों** के भीतर आ जाना चाहिए। आप पोर्टल से डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं।